एफ.संख्या 26/10/2015- आईडीईएएस
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग
*****

Dy. No 5828 /RTI Sec./2015
दिनांक/Date 15/09/2015
1974/2015

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 8 सितंबर, 2015

सेवा में,

श्री हेमेन्द्रवीर सिंह,
विजराज भवन, ग्राम- सिंधरपुर,
डाकघर- अहमदपुर, अलीगढ़,
उत्तर प्रदेश ।

विषय- श्री हेमेन्द्रवीर सिंह के दिनांक 08.08.2015 के आरटीआई आवेदन का आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरण।

महोदय,

यह (i) 17 अप्रैल, 2014 से 8 अगस्त, 2015 तक प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न देशों के विदेशी दौरों पर हुए कुल व्यय (ii) 17.04.2014 से 08.08.2015 तक विभिन्न देशों को प्रधानमंत्री द्वारा दी गई वित्तीय सहायता तथा उन देशों को दी गई धनराशि तथा 17.04.2014 से 08.08.2015 तक विभिन्न देशों द्वारा भारत को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में दिनांक 31.08.2015 को आरटीआई प्रकोष्ठ, आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त आपके दिनांक 08.08.2015 के आरटीआई के संदर्भ में है।

2. जहां तक अधोहस्ताक्षरी सीपीआईओ का संबंध है, आर्थिक कार्य विभाग से कोई वित्तीय सहायता सीधे जारी नहीं की गई है। अधोहस्ताक्षरी सीपीआईओ, प्रदान की गई/प्राप्त की गई सहायता, प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न देशों के विदेशी दौरों पर हुए व्यय से अवगत नहीं है।

3. प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विदेशी दौरों संबंधी ब्यौरा, इन दौरों पर हुए व्यय तथा विभिन्न देशों को प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान की गई/प्राप्त की गई वित्तीय सहायता विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्हें आरटीआई आवेदन की एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले ही भेज दी है।

भवदीय,

(अरूण सोबती)
सीपीआईओ और अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23093532
ई-मेल: arun.sobti@nic.in

<u>प्रतिलिपि:-</u>

(i) विदेश मंत्रालय, श्री संदीप सूद, अवर सचिव/सीपीआईओ, जवाहरलाल नेहरू भवन, जनपथ, नई दिल्ली।

(ii) अवर सचिव और सीपीआईओ (जापान डेस्क), अवर सचिव और सीपीआईओ (यूरोप । व ।।।) तथा अवर सचिव और सीपीआईओ (यूरोप ।। व ।V) को सूचना प्रदान करने के लिए, यदि उनके पास उपलब्ध हो।

(iii) श्री रोपना खड़िया, अनुभाग अधिकारी, आरटीआई प्रकोष्ठ, आर्थिक कार्य विभाग को उनकी दिनांक 28.08.2015 की आईडी संख्या 2/180909,180906/आरटीआई/2015 के संदर्भ में।

9548_24/8/15

9548/15

सेवा में,

दिनांक- 8-8-2015

श्रीमान जन सूचना अधिकारी,
प्रधानमंत्री कार्यालय.
भारत सरकार.

20 AUG 2015
SECTION

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रार्थी भारत सरकार से **प्रधानमंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओं** के वारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है जो कि निम्न है.

(1) प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक- 17-04-2014 से दिनांक- 08-08-2015 तक किया गया **विदेश यात्राओं पर व्यय** कितना है ।

(2) प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक- 17-04-2014 से दिनांक- 08-08-2015 तक किन किन देशों को **"आर्थिक सहायता दी"** गई है और वह कितनी धन राशि है ।

(3) प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक- 17-04-2014 से दिनांक- 08-08-2015 तक किन किन देशों से **"आर्थिक सहायता प्राप्त"** की गई है और वह कितनी है ।

उक्त सूचना प्रार्थी को हिन्दी में देश, विंदुवार एवं नियत समयावधि में देने की कृपा करें.
उपरोक्त सूचना हेतु रु-10 का भा.पो.आ. जिसका **न.** 34F 272671 संलग्न है ।

Similar application in lg no. 4259774

प्रार्थी
(signature)
(हेमेन्द्रवीर सिंह)
विजराज भवन
ग्राम- सिंघारपुर
पोस्ट- अहमदपुर अलीगढ़
फोन- 9719175222

URGENT
RTI ACT
Diary No. 36924
& Date 20/08/15
Last Date For ... 25/08/15

IPO No. 34F 272671 of ₹ 10/-

S/551/24/2015
विदेश मंत्रालय
(दक्षिणी प्रभाग)
***

जवाहरलाल नेहरु भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 10 मार्च 2016

सेवा में,

श्री हेमेन्द्रवीर सिंह
विजराज भवन, ग्राम- सिंधरपुर
डाकघर – अहमदपुर , अलीगढ़
उत्तर प्रदेश

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र क्रमांक – एफ.संख्या 26/10/2015-आईडीएएस दिनांक- 08 अगस्त 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपने दिनांक 17-04-2014 से 08-08-2015 तक माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओ एवं आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी मांगी थी।

2. आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के विषय में, **ऑस्ट्रेलिया** के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि ;

(अ) क्रमांक (1) - प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी-20 लीडर शिखर सम्मेलन (ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 15 नवम्बर, 2014) में भाग लेने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के द्वि-पक्षीय आधिकारिक यात्रा पर (16-18 नवम्बर, 2014) गए थे।

(ब) क्रमांक (2) & (3) आपके द्वारा कथित अवधि के दौरान भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को किसी प्रकार की वितीय सहायता प्रदान नहीं की गयी है और ना ही प्राप्त की गयी है।

3. यदि आप उपरोक्त सूचना से सहमत नहीं है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निमंलिखित प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते है।

श्रीमान पीयूष श्रीवास्तव
निदेशक (दक्षिण) एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
विदेश मंत्रालय, कमरा संख्या 3005
जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली- 110011
दूरभाष : 49015229, ईमेल- dirsouth@mea.gov.in

पूजा वेर्णेकर

(पूजा वी वेर्णेकर)
अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष -49015241, ईमेल- usic@mea.gov.in

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (दक्षिण), विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
2. अवर सचिव, आर॰ टी॰ आई॰ , विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
3. अवर सचिव (DD)